रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122020-223774
CG-DL-E-18122020-223774

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/अग्रहायण 27, 1942
No. 641] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942

Image Code

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 773(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 230 से 233 और धारा 234 से 240 के साथ पठित धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) द्वितीय संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2, उप-नियम (1) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ङ) "कारपोरेट कार्य" से अभिप्रेत शेयरों के अंतरण और ऐसे शेयरों अर्थात् बोनस शेयर, स्प्लिट, समेकन, अंश शेयर और अर्जनकर्ता के राइट निर्गम में होने वाले सभी लाभों से संबंधित कंपनी द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई है।"

3. उक्त नियम में, नियम 26 के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"26 क. डी-मैट प्ररूप में धारित अल्पसंख्यक शेयरधारिता की खरीद:- (1) धारा 236 के तहत अर्जनकर्ता द्वारा अर्जित किए जाने वाले शेयरों के मूल्य की समकक्ष राशि प्राप्त करने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर, कंपनी गैर-तात्विक रूप में शेयर धारण करने वाले अल्पसंख्यक शेयरधारकों से संबंधित ब्यौरे को सत्यापित करेगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन सत्यापन होने के पश्चात्, कंपनी अंतिम तारीख, जो नोटिस भेजने की तारीख के बाद एक माह से पहले नहीं होगी, के बारे में रजिस्ट्रीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट अथवा कुरियर अथवा ई-मेल द्वारा अल्पसंख्यक शेयरधारकों को नोटिस भेजेगी, जिस पर अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयर उनके खाते से निकालकर कंपनी के निर्धारित डी-मैट खाते में डाले जाएंगे बशर्ते कि अंतिम तारीख से पहले ऐसे नोटिस में यथा-विनिर्दिष्ट शेयरों को अर्जनकर्ता के खाते में न डाल दिया जाए।

(3) उप-नियम (2) के अधीन अल्पसंख्यक शेयरधारकों को दिए गए नोटिस की एक प्रति उस जिले में जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, दो व्यापक रूप से परिचालित समाचार पत्रों (एक अंग्रेजी और दूसरा क्षेत्रीय भाषा में) में एक साथ प्रकाशित करने के साथ-साथ कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई है, पर भी डाली जाएगी।

(4) कंपनी अंतिम तारीख के संबंध में उप-नियम (3) के तहत नोटिस के प्रकाशन के तत्काल बाद निक्षेपधारी को सूचना देने के साथ-साथ यह वक्तव्य देते हुए निम्नलिखित घोषणा कथन करेगी कि:-

(क) कारपोरेट कार्य अधिनियम की धारा 236 के उपबंधों के अनुसरण में प्रभावी की जा रही है;

(ख) वे अल्पसंख्यक शेयरधारक जिनके शेयर गैर-तात्विक रूप में धारित हैं, उन्हें कारपोरेट कार्य के बारे में सूचित किया गया है (ऐसे शेयरधारकों को दिए गए नोटिस और समाचार पत्रों में प्रकाशित उसकी प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है);

(ग) अल्पसंख्यक शेयरधारकों को कंपनी द्वारा कारपोरेट कार्य पूरा होने के तत्काल बाद भुगतान किया जाएगा;

(घ) ऐसे कारपोरेट कार्य से उत्पन्न कोई विवाद अथवा शिकायत कंपनी का एकमात्र दायित्व होगा।

(5) कारपोरेट कार्य के माध्यम से शेयरों के अंतरण को प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड उप-नियम (4) के तहत निक्षेपधारी को सूचना देने के लिए कंपनी सचिव अथवा उसकी अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करने के साथ-साथ उक्त उप-नियम के अंतर्गत अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा।

(6) उप-नियम (4) के तहत सूचना प्राप्त होने पर निक्षेपधारी उन अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयर अंतिम तारीख पर कंपनी के निर्धारित डी-मैट खाते में अंतरित करेगी, जिन्होंने अर्जनकर्ता के पक्ष में अपने शेयरों को स्वयं हस्तांतरित नहीं किया है, और कंपनी को उसकी सूचना देगी।

(7) उप-नियम (6) के अधीन निक्षेपधारी से शेयरों के सफल अंतरण की सूचना प्राप्त होने के बाद कंपनी लागू स्टाम्प शुल्क, जिसका भुगतान कंपनी द्वारा भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के उपबंधों के अनुसार अल्पसंख्यक शेयरधारकों की ओर से किया जाएगा, का कमी करने के बाद प्रत्येक अल्पसंख्यक शेयरधारकों को इस प्रकार अंतरित शेयरों के मूल्य का तत्काल संवितरण करेगी।

(8) उप-नियम (7) के तहत अल्पसंख्यक शेयरधारकों को सफल भुगतान किए जाने के बाद कंपनी, कंपनी के निर्धारित डी-मैट खाते में रखे गए ऐसे शेयरधारकों के शेयरों को अर्जनकर्ता के डी-मैट खाते में अंतरित करने के बारे में निक्षेपधारी को सूचना देगी।

स्पष्टीकरण.- कंपनी ऐसे हकदार शेयरधारकों को संदाय संवितरित करती रहेगी जहां संवितरण विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं हो पाया तथा ऐसे संवितरण के बाद अर्जनकर्ता के डी-मैट खाते में शेयर अंतरण करती रहेगी।

(9) यदि जहां ऐसे शेयरों के अंतरण को रोकने और लाभांश के भुगतान के बारे में न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण अथवा कानूनी प्राधिकरण का कोई विशेष आदेश दिया गया है अथवा जहां निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1966 का 22) के उपबंधों के तहत ऐसे शेयरों को रहन रखा गया है अथवा आद्रनामित किया गया है, वहां निक्षेपधारी उप-नियम (6) के तहत कंपनी के निर्धारित डी-मैट खाते में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयरों को अंतरित नहीं करेगी।

IndiaCode

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए यदि 'अंतिम तारीख' अवकाश के दिन पड़ती है तो अगले कार्य दिवस को 'अंतिम तारीख' समझी जाएगी।

[फा. सं. 2/31/सीएए/2013-सीएल-V]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं.1134(अ), तारीख 14 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 368(अ), तारीख 13 अप्रैल, 2017 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 79(अ), तारीख 3 फरवरी, 2020 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2020

G.S.R. 773(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with sections 230 to 233 and sections 235 to 240 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Second Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

"(e) "corporate action" means any action taken by the company relating to transfer of shares and all the benefits accruing on such shares namely, bonus shares, split, consolidation, fraction shares and right issue to the acquirer".

3. In the said rules, after rule 26, the following rule shall be inserted namely:-

"**26 A. Purchase of minority shareholding held in demat form**. --- (1) The company shall within two weeks from the date of receipt of the amount equal to the price of shares to be acquired by the acquirer, under section 236 of the Act, verify the details of the minority shareholders holding shares in dematerialised form.

(2) After verification under sub-rule (1), the company shall send notice to such minority shareholders by registered post or by speed post or by courier or by email about a cut-off date, which shall not be earlier than one month after the date of sending of the notice, on which the shares of minority shareholders shall be debited from their account and credited to the designated DEMAT account of the company, unless the shares are credited in the account of the acquirer, as specified in such notice, before the cut-off date.

(3) A copy of the notice served to the minority shareholders under sub-rule (2), shall also be published simultaneously in two widely circulated newspapers (one in English and one in vernacular language) in the district in which the registered office of the company is situated and also be uploaded on the website of the company, if any.

(4)The company shall inform the depository immediately after publication of the notice under sub-rule (3) regarding the cut-off date and submit the following declarations stating that:-

(a) the corporate action is being effected in pursuance of the provisions of section 236 of the Act;

(b) the minority shareholders whose shares are held in dematerialised form have been informed about the corporate action [a copy of the notice served to such shareholders and published in the newspapers to be attached];

(c) the minority shareholders shall be paid by the company immediately after completion of corporate action;

(d) any dispute or complaints arising out of such corporate action shall be the sole responsibility of the company.

(5) For the purposes of effecting transfer of shares through corporate action, the Board shall authorise the Company Secretary, or in his absence any other person, to inform the depository under sub-rule (4), and to submit the documents as may be required under the said sub-rule.

(6) Upon receipt of information under sub-rule (4), the depository shall make the transfer of shares of the minority shareholders, who have not, on their own, transferred their shares in favour of the acquirer, into the designated DEMAT account of the company on the cut-off date and intimate the company.

(7) After receiving the intimation of successful transfer of shares from the depository under sub-rule (6), the company shall immediately disburse the price of the shares so transferred, to each of the minority shareholders after deducting the applicable stamp duty, which shall be paid by the company, on behalf of the minority shareholders, in accordance with the provisions of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899).

(8) Upon successful payment to the minority shareholders under sub-rule (7), the company shall inform the depository to transfer the shares of such shareholders, kept in the designated DEMAT account of the company, to the DEMAT account of the acquirer.

Explanation. - The company shall continue to disburse payment to the entitled shareholders, where disbursement could not be made within the specified time, and transfer the shares to the DEMAT account of acquirer after such disbursement.

(9) In case, where there is a specific order of Court or Tribunal, or statutory authority restraining any transfer of such shares and payment of dividend, or where such shares are pledged or hypothecated under the provisions of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the depository shall not transfer the shares of the minority shareholders to the designated DEMAT account of the company under sub-rule (6).

Explanation. - For the purposes of this rule, if "cut-off date" falls on a holiday, the next working day shall be deemed to be the "cut-off date"."

[F. No. 2/31/CAA/2013 – CL.V]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1134(E), dated the 14th December, 2016, and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 368(E), dated the 13th April 2017 and *vide* notification number G.S.R. 79(E), dated the 3rd February,2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.18 22:36:03 +05'30'